रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275661
CG-DL-E-21082026-275661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4447] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 4447] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

सं. 115/2026-सीबीडीटी

का.आ. 4628(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(ख) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, 2025 के उक्त अधिनियम की धारा 45(3)(क)(i) और आयकर नियमावली 2026 के नियम 32 और 33 के प्रयोजनों के लिए, रिसर्च एसोसिएशन की श्रेणी के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तमिलनाडु (पैन: AAATF0061E) को अनुसंधान संगठन की श्रेणी के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तमिलनाडु पर कर वर्ष 2026- 2027 से 2030-2031 के लिए इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि,

(i) यह आयकर नियमावली, 2026 के नियम 33 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा;

(ii) फॉर्म संख्या 15 में प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45 (4) (क) के तहत विवरण तैयार करेगा और उसे उस कर वर्ष जिसमें दान प्राप्त हुआ है के तुरंत बाद, आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा या करवायेगा:

(iii) करदाता को प्रपत्र संख्या 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें आयकर नियमावली, 2026 के नियम 31 के अनुसार दान की राशि को विनिर्दिष्ट की गयी हो।

[फा. सं. 203/29/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव